तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.63/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
09.01.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी कैलाश पुत्र चेलाराम जी, जाति– माली, निवासी– सुखधाम कॉलोनी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भाग्यलक्ष्मी स्वीट एण्ड बैकरी, मैन मार्केट, पिण्डवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.10.2022 को फर्म भाग्यलक्ष्मी स्वीट एण्ड बैंकरी, मैन मार्केट, पिण्डवाडा में प्रतिवादी कैलाश पुत्र चेलाराम जी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन का नमूना संख्या S-1899 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1860/Act/2022/1829 दिनांक 11.11.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ एवं न ही प्रतिवादी की ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में प्रतिवादी कैलाश पुत्र चेलाराम जी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 09.1.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित नही हुये। अतः पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 18.10.2022 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी कैलाश पुत्र चेलाराम जी की फर्म भाग्यलक्ष्मी स्वीट एण्ड बैकरी, मैन मार्केट, पिण्डवाडा में प्रतिवादी थानाराम पुत्र चुन्नीलाल जी से दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन में से 2 किलोग्राम गुलाब जामुन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन के नमूना संख्या S-1899 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक::L.S./1860/Act/2022/1829 दिनांक 11.11.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbrand) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कैलाश पुत्र चेलाराम जी ने अमानक ......अनुसार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:48 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.63/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

(sub-standard) खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन के विक्रय हेतु प्रतिवादी प्रतिवादी कैलाश पुत्र चेलाराम जी, जाति– माली, निवासी– सुखधाम कॉलोनी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भाग्यलक्ष्मी स्वीट एण्ड बैकरी, मैन मार्केट, पिण्डवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 21,000/– (अक्षरे रुपये इक्कीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी प्रतिवादी कैलाश पुत्र चेलाराम जी, जाति– माली, निवासी– सुखधाम कॉलोनी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भाग्यलक्ष्मी स्वीट एण्ड बैकरी, मैन मार्केट, पिण्डवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 13.2..2024 को पेश हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)

अति. जिला मजिस्ट्रेट

सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:48 IST
Reason: SelfAttested